

# प्रसूति-लाभ अधिनियम, १९६१ एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियम का सार

## अधिनियम का विस्तार एवं प्रवर्तन

यह सम्पूर्ण भारत में लागू होगा।

यह अधिनियम, सरकार के अधीन स्थापनों समेत सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों में जो फैक्टरी, खान या बागान हैं तथा सभी प्रतिष्ठानों में जहाँ अश्वारोहण कला प्रदर्शन (Equestrian) नवीकरण कलाबाजी (Aerobatic) या अन्य प्रदर्शनों हैं लिए लोगों को नियोजित किया जाता हो एवं प्रत्येक दुकान व प्रतिष्ठान में, जिसमें 10 या अधिक लोगों को, नियोजित किया गया हो अथवा पिछले 12 महीनों के किसी भी दिन पर नियोजित किया गया था, पर लागू होगा।

## परिभाषाएँ

'समुचित सरकार' (Appropriate Government) से अभिप्राय है केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार।

'शिशु' (Child) में नवजात मृत शिशु भी समिलित है।

'प्रजनन या प्रसव' (Delivery) से अभिप्राय शिशु का जन्म है।

'निरीक्षक' (Inspector) से धारा 14 के अन्तर्गत नियुक्त निरीक्षक अभिप्रेत है।

'मातृत्व लाभ' (Maternity Benefit) से अभिप्राय धारा 5(1) में निर्दिष्ट संदाय या भुगतान से है।

'गर्भ की चिकित्सकीय समाप्ति' (Medical Termination of Pregnancy) से अभिप्राय मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रिग्नेन्सी एक्ट, 1971 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुमत्य (Permissible) गर्भ समाप्ति से है।

'गर्भपात' से अभिप्राय गर्भस्थ भ्रूण (Uterus) के निष्क्रमण से है, जो गर्भधारण के 26 वें सप्ताह के मध्य या पूर्व होता है लेकिन इसमें वह गर्भपात समिलित नहीं होता, जो भारतीय दण्ड सहित, 1860 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

'विहित' (Prescribed) से मतलब होता है इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों के द्वारा निर्धारित।

'महिला' से अभिप्राय है प्रत्यक्षतः या दूसरी एजेंसी द्वारा प्रतिष्ठानों में मजदूरी पर नियोजित महिला से है।

कुछ अवधि के दौरान स्त्रियों, के नियोजन अथवा द्वारा कार्य पर निषेध

1. कोई भी नियोजक किसी स्त्री को उसके गर्भपात / प्रसव के दिन से तुरन्त छः सप्ताह के दौरान जानवृत्तकर नियोजित नहीं करेगा तथा कोई भी स्त्री उक्त अवधि के दौरान किसी संस्थापन में कार्य नहीं करेगी।

2. किसी भी गर्भवती स्त्री से, इस संबंध में उसके द्वारा की गई प्रार्थना पर भी, उसके नियोजक द्वारा, उसकी प्रसव की अपेक्षित तिथि से छः सप्ताह पूर्व की अवधि से एक माह पूर्व की अवधि तथा छः सप्ताह की इस अवधि के दौरान किसी भी अवधि के लिए, जिसके लिए वह अनुपस्थिति का अवकाश ग्रहण नहीं करती है, के दौरान कोई भी ऐसा कार्य नहीं कराया जाएगा, जो कठिन प्रक्रिया की हो या उसमें देर तक खड़ा रहना पड़े, जिससे उसके गर्भ या गर्भस्थ भ्रूण के विकास में किसी प्रकार का विघ्न पड़ता हो या गर्भपात होने की संभावना हो या उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना हो।

## प्रसूति-लाभों के भुगतान का अधिकार

3. (1) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक स्त्री जिसने उस नियोजक के किसी संस्थापन में काम किया हो, जिसमें वह उस दिनों सहित, जिनके दौरान वह शिशु जन्म के कारण कार्य पर नहीं रही, कम से कम असी दिनों की अवधि के लिए प्रसूति लाभ का दावा करती है, औसत वैनिक मजदूरी या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत संशोधित या तथा मजदूरी की न्यूनतम दर से या दस रुपये प्रतिदिन, जो भी अधिक हो की दर से, प्रसव के दिन से तुरन्त पूर्व जो छः सप्ताह से अधिक न हो, की उसकी वास्तविक अनुपस्थिति की अवधि के लिए तथा उस दिन से तुरन्त आने की शेष अवधि के लिए हकदार होगी तथा नियोजक देनदार होगा।

बशर्ते कि उपर्युक्त असी दिनों की अर्हक अवधि किसी ऐसी स्त्री पर लागू नहीं होगी जो असम राज्य में नाप्रवासी हो गई हो तथा आप्रवास के समय गर्भवती थी।

पुनः बशर्ते कि जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु उस अवधि के दौरान हो जाती है, जिसके लिए उसे प्रसूति लाभ ये हैं, जो लाभ केवल उसकी मृत्यु की तिथि सहित एवं तब तक के दिनों के लिए ही देय होगा। तथापि जहाँ स्त्री की शिशु को जन्म देने के पश्चात् प्रसव के दौरान अथवा वाकी प्रसूति लाभ की अवधि के दौरान शिशु को अपने पीछे छोड़ते हुए मृत्यु हो जाती है, नियोजक, उस स्त्री के प्रसूति के दिन से प्रसूति-लाभ की संपूर्ण अवधि के लिए प्रसूति-लाभ की भुगतान हेतु देनदार होगा, परन्तु यदि शिशु की भी उक्त अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है, तब शिशु की मृत्यु के इन सहित और उन दिनों तक के लिए देनदार होगा।

(2) किसी स्त्री की अपेक्षित प्रसव की तिथि से पूर्व अवधि के लिए प्रसूति-लाभ की राशि नियोजक द्वारा उस स्त्री को निर्धारित प्रपत्र में एक प्रमाण-पत्र की प्रसूति करने पर कि वह गर्भवती है तथा प्रमाण-पत्र की प्रसूति की तिथि ही छः सप्ताह के भीतर शिशु को जन्म देना अपेक्षित है, अग्रिम भुगतान किया जाएगा तथा वाद की अवधि के लिए जहाँ शिशु का स्तर प्रमाणित हो जाएगा तथा वाद की अवधि के दौरान प्रसूति-लाभ प्राप्त करती है, उस अवधि के दौरान किसी संस्थापन में कार्य नहीं होगी।

(2) गर्भवती स्त्री के मामले में ऐसे नोटिस में कार्य से अनुपस्थित तिथि का उल्लेख होगा, जो उसकी अपेक्षित सूति की तिथि से छः सप्ताह पूर्व की तिथि न हो।

(3) जिस स्त्री ने जब वह गर्भवती थी, नोटिस नहीं दिया, तो वह उस नोटिस को अपनी प्रसूति के पश्चात् जैसे नीति संबंधी हो, प्रस्तुत करेगी।

(4) नोटिस की प्राप्ति पर, नियोजक ऐसी स्त्री को उसकी प्रसूति की तिथि के पश्चात् प्रसूति-लाभ की शेष अवधि नीति समाप्ति तक संस्थापन से उसको अनुपस्थित रहने की अनुमति देगा।

प्रसूति बोनस का भुगतान तथा गर्भपात, नसबंदी एवं सम्बंधित बीमारी के लिए अवकाश

(1) इस अधिनियम के अधीन प्रसूति-लाभ की प्रत्येक हकदार स्त्री अपने नियोजक से दो सौ पचास रुपये का चिकित्सा बोनस पाने की हकदार होगी, यदि नियोजक द्वारा प्रसव पूर्व प्रसूति और प्रसव बाद की देख-रेख के लिए छोड़ने की अपेक्षित प्रसूति न किया गया हो। चिकित्सा बोनस को प्रसूति-लाभ की द्वितीय किश्त के साथ दिया जाएगा।

(2) गर्भपात की दशा में, कोई स्त्री, निर्धारित प्रपत्र में एक प्रमाण-पत्र प्रसूति करने पर, गर्भपात के दिन से तुरन्त उसपात के लिए प्रसूति-लाभ की दर से वेतन सहित छुट्टी की हकदार होगी। निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र पेश करने के लिए 48 घंटों के अन्दर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।

(3) गर्भपात के मामले में कोई स्त्री निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण की प्रसूति पर अपनी गर्भपात के दिन से तुरन्त छः सप्ताह की अवधि के लिए प्रसूति-लाभ की दर से वेतन सहित छुट्टी की हकदार होगी। निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र प्रसूति के 48 घंटों के अन्दर मजदूरी का भुगतान करना होगा।

(4) गर्भवती 'प्रसूति' समय से पूर्व शिशु के जन्म या गर्भपात/चिकित्सीय गर्भपात या नसबंदी से उत्पन्न किसी बीमारी से पीड़ित स्त्री, निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र प्रसूति करने पर, उसको स्वीकृत अनुपस्थिति अवधि के अतिरिक्त प्रसूति या गर्भपात/चिकित्सीय गर्भपात या नसबंदी जैसी भी मामला हो, के लिए प्रसूति-लाभ की दर से मजदूरी सहित अधिकतम एक मास की अवधि के लिए छुट्टी की हकदार होगी। अवकाश अवधि के लिए मजदूरी का भुगतान उस अवधि की समाप्ति के 48 घंटों के अन्दर करना होगा।

## शिशु पोषण/दुर्घटान विराम (Nursing Breaks)

6. प्रत्येक प्रसूता स्त्री को, जो प्रसव के पश्चात् काम पर वापिस आती है, उसे आराम के लिए स्वीकृत विराम के अतिरिक्त, अपने काम की दैनिक चर्चा के दौरान शिशु पोषण/दुर्घटान के लिए 15 मिनट के दो विराम तब तक मिलेंगे जब तक शिशु पन्द्रह मास का नहीं हो जाता है। किसी स्त्री द्वारा कार्य के समय पर कार्य स्थल से शिशु देखभाल केन्द्र या स्थल जहाँ शिशुओं को छोड़ा गया है तक आने-जाने के लिए तय की गई दूरी के अनुसार पर्याप्त अतिरिक्त समय की अनुमति भी होगी, बशर्ते कि यह अतिरिक्त समय 5 मिनट से कम व 15 मिनट की अवधि से अधिक न हो।

## गर्भवती के दौरान निलम्बित/निष्कासित करना

### (Dismissal during pregnancy)

7. (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जब कोई स्त्री काम पर से अनुपस्थित रहती है, तो उसके नियोजक के लिए यह विधि विरुद्ध होगा कि वह ऐसी अनुपस्थिति के दौरान उसे भारमुक्त या पदच्युत करना नहीं होता तो प्रसूति-लाभ अथवा चिकित्सा बोनस से वंचित करने के लिए आने-जाने के लिए यह अतिरिक्त समय नहीं होता।

(2क) आपनी गर्भावस्था के दौरान किसी स्त्री को किसी समय पर मजदूर भुगतान के लिए होने से उसके प्रसूति-लाभ अथवा चिकित्सा बोनस से वंचित करने के लिए होने से उसके गर्भवती स्थल अथवा चिकित्सा बोनस की वह हकदार होती है। बशर्ते कि यह अतिरिक्त समय पर मजदूर भुगतान के लिए होने से उसके गर्भवती स्थल अथवा चिकित्सा बोनस की वह हकदार होती है।

## (1) जानवृत्तकर नियोजक के माल या संपत्ति को नुकसान पहुँचाना;

## (2) कार्य-स्थल पर किसी वरिष्ठ या सह कर्मचारी से दुर्बल्बहार;

## (3) नैतिक भ्रष्टता संलिप्त दण्डनीय अपराध के परिणामस्वरूप न्यायालय में दोष सिद्ध;

## (4) नियोजक के व्यापार या संपत्ति के संबंध में चोरी, धोखाधड़ी य